



# डॉ राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

संख्या : लो०अ०वि० / सम्ब० / २०२० / १८१९

दूरभाष - ०५२७८-२४५९५७  
फैक्स - ०५२७८-२४८१२३

दिनांक : ०८/०६/ २०२०

सेवा में

१. प्र० कौशल किशोर मिश्रा, विभाग—राजनीतिशास्त्र, वी०ए०य०य० वाराणसी।
२. डॉ. योगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, विभाग—समाजशास्त्र, का०स० साकेत पी०जी० कालेज।
३. डॉ. आरपी० रिंह, रसायन विज्ञान, के०ए०आई०पी०ए०स०ए०स०, सुलतानपुर।
४. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सृजि उपवन, विजली पासी का किला, आलमबाग, लखनऊ।

- आचार्य
- विशेषज्ञ सदस्य
- विशेषज्ञ सदस्य
- सदस्य / सचिव

**विषय—** गया प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय भर्दैया लम्बुआ, सुलतानपुर को स्नातक स्तर पर पर कला / विज्ञान संकाय के अन्तर्गत वी०ए० पाठ्यक्रम में हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास विषयों में एवं वी०ए०स०—सी पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्म विज्ञान, बन्स्पति विज्ञान, एवं गणित खंडपत्रोंविषय योजना के अन्तर्गत सत्र 2020-21 से सम्बद्धता (स्थाई) प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

**महोदय/महोदया,**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुरोधानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

आतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल के सदस्य महाविद्यालय के सम्पूर्ण निर्मित भवन के साथ अपनी फोटो खिचवायेंगे, जिसे हरताक्षर सहित निरीक्षण आख्या में संलग्न किया जायेगा। सम्पूर्ण निरीक्षण की निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के साथ वीडियोग्राफी करायी जायें, जिसमें महाविद्यालय का पूर्ण भवन चहारदीवारी, गेट, शिक्षण कक्षों, प्रयोगशाला कक्षों (उपकरणों सहित) अनुमोदित शिक्षकों एवं मानकानुसार वर्णित अन्य अवस्थापना सुविधाओं की रिकार्डिंग सम्मिलित हों तथा निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ सम्पूर्ण निरीक्षण की दो सी०जी० भी प्रेषित की जाय। (सूर्योदय के पश्चात किसी भी दशा में निरीक्षण कार्य न किया जाए)

**निम्न विन्दुओं पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है—**

१. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति के पूजीकरण एवं वैधता की तिथि।
२. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अकित होने से संबंधित खतोनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की रिथ्ति।
३. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गार्डों का संयुक्तता प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नक्शा मूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रगाणित होने की रिथ्ति, महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अकित भूमि का विवरण गार्डों एवं क्षेत्रफल सहित अकित किया जाए।
४. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं तिथि, अकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति जिसमें गार्डों का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गार्डों पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।
५. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवरिथत होने की रिथ्ति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की रिथ्ति।
६. सौसायटी/ट्रस्ट की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा संरक्षा की विगत तीन वर्षों की सी०ए० द्वारा प्रमाणित थैलेस सीट अन्यथा की रिथ्ति में तहसीलदार द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र।
७. मानकानुसार सौसायटी/महाविद्यालय के बगत खाते में अद्यतन जगा धनराशि।
८. मानकानुसार प्रागृहीत धनराशि जगा होने की रिथ्ति।
९. प्रबन्ध तत्र के द्वारा अवेदन पत्र में अकित विवरण/प्रविष्टियां लक्ष्यों पर आधारित एवं सही है का ५० लक्ष्ये के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की रिथ्ति।
१०. स्नातकोत्तर विषयों हेतु सी०जी०सी० की धारा २एफ में पंजीकृत होने की रिथ्ति।
११. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की रिथ्ति तथा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
१२. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथ्ति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
  - a) महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अकित की जाय।
  - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्मित होने की रिथ्ति।
  - c) फर्नीचर एवं घुस्तकों की व्यवस्था की रिथ्ति।
  - d) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की रिथ्ति में सम्बंधित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की रिथ्ति (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
  - e) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुयोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।
१३. याचितपाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथ्ति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
  - a) महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अकित की जाय।
  - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्मित होने की रिथ्ति।

*[Signature]*



डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

- c) फॉनीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की स्थिति।

d) प्रायोगिक धारुणकम्/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयंत्र होने की स्थिति (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।

e) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।

14. महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्यूटर उपकरण, यू०पी०एस०.सी०पी०य० आदि के साथ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने की स्थिति।

15. प्रबन्ध समिति के मठन व अनुमोदन की स्थिति।

16. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, चहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसंगठित होने का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।

17. सामुहिक नकल का आरोप न होने की स्थिति(प्रगाण संलग्न करें)।

18. नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य एवं अध्यापकों के देवन भुगतान बैंक के द्वारा किये जाने की पुष्टि।

19. नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुसार महाविद्यालय का भवन निर्मित होने साम्बन्धी प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अथवा अधिशासी अभियन्ता प्रामीण अभियन्त्रण सेवा का ही एवं अभिनश्मन की मानकानुसार व्यवस्था होने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रगाण पत्र संलग्न किया जाय।

20. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से सासनादेश के अनुरूप अण्डरटेकिंग निरीक्षण आख्या के अन्त में दी जायेगी।

21. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा साम्बद्धता प्रदान करने हेतु की गयी स्पष्ट संस्तुति (स्थाई अथवा अस्थाई)।

उपरांक्त पाठ्यक्रम में संबद्धता (खण्डों) के अवदान का स्थान ने अनुमादित प्राचीव रूप स्वरूप का सामूहिक हस्तालिता उपलब्ध करवाया। इसके साथ तथा वीडियोग्राफी की सीढ़ी ३D को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

रान्दर्भित महाविद्यालय की निरीक्षण आख्या शासनादेश संख्या 710 /सत्र-2-2014-16(165)/2012टी०सी० दिनांक 14 नवम्बर 2014 के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवसों की अवधि में निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण न किये जाने की स्थिति में तत्सम्बन्धी आख्या/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सदस्यों के महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण करने, महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/सहयोग न करने/बाद में निरीक्षण का अनुरोध करने अथवा अन्य तथ्य/तथ्यों का स्पष्ट विवरण निरीक्षण आख्या में अकित किया जायेगा। निरीक्षण सम्पन्न न हो पाने की स्थिति में भी निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए और अधिक समय मांगने के सम्बन्ध में लिखित साक्ष निरीक्षक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके प्रार्थना पत्र पर निरीक्षक मण्डल द्वारा सहमति की दशा में आगमी तिथि निश्चित की जायेगी। शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2014 में निहित व्यवस्थान्सार सत्र का निर्धारण किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि समयान्तर्गत निरीक्षण का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्यों एवं समयान्तर्गत निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सचिव (क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी अथवा नामित क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य) का है। निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने की दशा में शासनादेश संख्या 968/सत्तर-6-2016-100(18)/2016 दिनांक 12 मई 2016 के निर्देशानसारा निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियमनसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

के निराशा-नुसार प्रश्नोत्तर मण्डल/ सदस्य के विवरण का बयान है।

मुझे यह भी कहने का निरेश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समरत व्यव जिसमें टी०५०/ डी०५० एवं अन्य व्यव समिलित हैं का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा बहग किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल इस आशय का भी एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षक मण्डल के किसी सदस्य/ सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अमान्य/ नियमों के विपरीत कोई धनराशि नहीं ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/ अभिलेख संलग्न कर) स्थेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी/ राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नोट—हल्दिखिंड विन्दु सर्वथा 12 एवं 13 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल के द्वारा गम्भीरता से निरीक्षण कर पृथक—पृथक प्रविष्टि स्पष्ट रूप से स्वयं अकेले की जाए।

कोरेंगा वायरस (कोविड-19) से बचाव सम्बंधी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/एडवाइजरी का पूर्णतः पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण सम्पन्न किया जाएगा। यह निरीक्षण कोविड-19 के दृष्टिगत शासन/जिला प्रशासन के आवाहनमत्र शर्तों व अन्य प्रतिक्रियाओं के अधीन होगा।

महादीय,

**प्रतिलिपि:-1. प्रबन्धक / सदिव ( गया प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय भौदेया लम्बुआ, सुलतानपुर )** को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षण गण्डल के सदरस्यों से सम्बर्क स्थापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, निरीक्षण मण्डल को निरीक्षण में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करे अन्यथा की रिथित में समस्त उत्तरदायित महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सन्दर्भित सूचना तिथि सहित 03 कार्य दिवसों की अवधि में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सन्दिग्धित किया जाएगा। कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी शासन की एडवाइजरी का अनपालन करते हए सख्तात्मक

उपायों के साथ निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।

- प्रौद्योगिकी सेल को इस आशय से प्रेरित है कि उक्स प्रति महाविद्यालय के लॉग-इन पर

अप्रैल  
उप-कुलसंचित  
03/06/2020